



सुदृढ प्रजातंत्र हेतु वृहत्तर सहभागिता



भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०.....०८/२०१७-१८

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
	आवेदक श्री/श्रीमती <u>बेदार जामुदा</u> पिता/पति <u>खेवु जामुदा</u> ग्राम <u>मलियाकुदर</u> पोस्ट <u>चक्रधरपुर</u> थाना <u>चक्रधरपुर</u> जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कार्तकारी अधिनियम १९०८ की धारा ४६(प) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया है कि अपनी <u>राशि</u> <u>की आपत्त</u> के लिए अपने खतियानी जमीन मौजा <u>जोगीबंदा</u> थाना नं० <u>७५</u> खाता नं० <u>५८, ५९</u> प्लॉट नं० <u>क्रमशः १२५, १२६</u> रकबा <u>क्रमशः ०.०३ ए० ०.०२ ए०</u> क्रेता श्री/श्रीमती <u>जीता लोमगा</u> पिता/पति <u>०.०२ ए० ०.०५ ए०</u> ग्राम <u>म० ए० चक्रधरपुर</u> पोस्ट <u>चक्रधरपुर</u> जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इशतहार किया गया। अंचल अधिकारी <u>चक्रधरपुर</u> से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जाने वाली जमीन आवेदक/आवेदिका <u>बेदार जामुदा</u> पिता <u>खेवु जामुदा</u> के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास मो० <u>१,५०,०००/-</u> रुपये में बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में <u>मंगला हा</u> पिता <u>सुदरा हा</u> के नाम से दर्ज है। विक्रेता से उनका संबंध <u>दादा-पोता</u> का है। जमाबन्दी पंजी ॥ में खाता रैयत <u>मंगला हा</u> पिता <u>सुदरा हा</u> के नाम लगान कायम है। आम इशतहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी को आपत्ति नहीं है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। धारा ४६(१) प्रोभिजो "ए" के अनुसार आवेदक विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना <u>चक्रधरपुर</u> के निवासी है तथा <u>हो श्वमुण्डा (S.T)</u> समुदाय के सदस्य है। ४६(१) प्रोभिजो "बी" के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला क्रमशः <u>चक्रधरपुर</u> एवं <u>चक्रधरपुर</u> अंचल के निवासी है तथा <u>चक्रधरपुर</u> समुदाय के सदस्य है। आवेदक उक्त वर्णित कारणों से जमीन को बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि को बिक्री के बाद जीविकोपार्जन हेतु ग्राम <u>चक्रधरपुर</u> खाता/अन्य खाता <u>५८, ५९</u> प्लॉट संख्या <u>१-३०, ५४० ए०</u> में रकबा <u>१.३०, ५४० ए०</u> अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी <u>चक्रधरपुर</u> ने अपने कार्यालय पत्रांक <u>३२१ (३)</u>	



दिनांक 19.04.2017 के द्वारा उक्त भूमि का बिक्री हेतु अनुशंसा किया गया है। अंचल अधिकारी चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्ताहार प्रतिवेदन पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री/श्रीमती गीता लोमगा पिता/पति श्री जुनास लोमगा ग्राम श्री. एल. चक्रधरपुर पोस्ट चक्रधरपुर थाना चक्रधरपुर जिला- पं. सिंहभूम के पास में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत बिक्री द्वारा जमीन हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित्र

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर